बिहार सरकार

परिवहन विभाग

सं0सं0:–05 / स्था0–37 / 2015..2703/ पटना, दिनांक 06/06/2016

प्रेषक,

नवीन चन्द्र झा, भा0प्र0से0,
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:– **परिवहन विभाग में लिपिक के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त लिपिकों के नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि परिवहन विभाग, बिहार के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकों के रिक्त पद पर नियोजन के लिए संलग्न सूचना का प्रकाशन दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में लगातार दो दिनों तक कराने की कृपा की जाय।

अनु0:–सी. डी.

विश्वासभाजन,

6.6.16

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

3/6

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

सं0सं0–05 / स्था0–37 / 2015 पटना, दिनांक.................

सूचना

बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–17415 दिनांक–20.12.2012 तथा संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में परिवहन विभाग के जिला परिवहन कार्यालयों एवं अन्य कार्यालयों के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त निम्न वर्गीय लिपिक / उच्च वर्गीय लिपिक पद पर संविदा के आधार पर आरक्षणवार निम्नवत् सेवा ली जानी है:–

क्रमांक	पदनाम	रिक्ति
1	2	3
(i)	लिपिक – 123 (निम्नवर्गीय तथा उच्चवर्गीय लिपिक)	(क) सामान्य – 55(पचपन) पद (ख) अनुसूचित जाति – 25(पच्चीस) पद (ग) अनु0 जनजाति – 01(एक) पद (घ) अत्यंत पिछड़ा वर्ग – 21(इक्कीस) पद (ड.) पिछड़ा वर्ग – 15(पन्द्रह) पद (च) पिछड़ा वर्ग की महिला – 6(छः) पद
		कुल – 123 पद

2. **चयन की प्रक्रिया :–**

(i) जिस पद से सेवानिवृत हुए हैं, उसी पद के लिए संविदा चयन हेतु उपयुक्त होंगे।

(ii) पूर्व से सेवानिवृत कर्मी जिला पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में आवेदन समर्पित करेंगे तथा उक्त पदों के लिए अनुशंसा जिला पदाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी। अनुशंसित सेवा निवृत्त कर्मी पदस्थापन के लिए तीन विकल्प प्रस्तुत करेंगे।

(iii) उपरोक्त नियोजन कंडिका–01 में अंकित रिक्तियों के विरूद्ध किया जायेगा।

(iv) उपरोक्त नियोजन कंडिका –01 के कॉलम–03 में अंकित कोटि अनुसार किया जायेगा। प्रत्येक कोटि में विकलांगों के लिए 3% पद आरक्षित होंगे।

(v) परिवहन विभाग के सेवानिवृत कर्मियों को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि परिवहन विभाग के कर्मी का आवेदन नहीं प्राप्त होता है, तो अन्य विभाग के कर्मी की अनुशंसा की जायेगी।

(vi) चयन प्रथम दो वर्ष के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों के समीक्षोपरांत किया जा सकेगा। यह नियोजन नियमित नियुक्ति होने पर इससे पूर्व भी समाप्त किया जा सकेगा। अधिकतम उम्र सीमा तक सेवा आवश्यकतानुसार एवं संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नियोजन समाप्त किया जा सकता है।

(vii) नियोजित / कर्मियों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वही होगा।

(viii) नई पेंशन योजना से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक अथवा बोर्ड / निगम / लोक उपक्रमों से सेवानिवृत्त कर्मियों का मासिक मानदेय उनके नियोजन के पद संवर्ग के लिए अनुमान्य पे–बैंड का प्रारंभिक वेतन + उस प्रारंभिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य मंहगाई भत्ता की राशि के योगफल के समतुल्य होगा।

(ix) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं हो तो हटाया जा सकेगा।

(x) चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र–सीमा 65 वर्ष होगी।

3. **निम्न कोटि के कर्मियों का नियोजन नहीं किया जा सकेगा:–**

(i) जिन पर कोई निगरानी / विभागीय कार्यवाही का मामला चल रहा है।

(ii) जिन पर कोई गंभीर आरोप विचाराधीन हो।

(iii) जिन पर किसी तरह का आपराधिक मामला दर्ज हो।

(iv) चयन समिति की दृष्टि में जो स्वास्थ्य की दृष्टि से सक्षम न हो।

4. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 30.06.2016 के 5.00 बजे अपराह्न तक रहेगी।

5. आवेदन हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र परिवहन विभाग के वेबसाईट www/transport.bih.nic.in से डाउन लोड किया जा सकता है।

6. परिवहन विभाग, बिहार, पटना को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि आवश्यकतानुसार अनुशंसित कर्मियों की नियुक्ति की जाय अथवा नहीं।

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना

F:\P\S Docx 972

विहित प्रपत्र

1. आवेदक का नाम :–
2. विभाग/कार्यालय का नाम (जहाँ से सेवानिवृत हुए हैं) :–
3. पदनाम :–
4. जन्म तिथि :–
5. सेवानिवृत्ति की तिथि :–
6. अंतिम वेतन–
   (i) मूल वेतन
   (ii) ग्रेड पे :–
7. सेवानिवृति के समय धारित पद :–
8. पेंशन स्वीकृति की स्थिति :–
   (i) स्वीकृत
   (ii) स्वीकृत नहीं
   (iii) औपबंधिक रूप से स्वीकृत :–
   (सही का निशान लगायें तथा आदेश की प्रति संलग्न करें)
9. पेंशन की स्वीकृत राशि– :–
   (पेंशन+मँहगाई राहत आदि कुल जोड़कर)
10. सेवानिवृति की तिथि या पूर्व में विभागीय आरोप/विभागीय कार्रवाई की स्थिति :–
11. आरक्षण श्रेणी :–
12. आरोप के निष्पादन की स्थिति/अधिरोपित दंड का विवरण :–
13. वर्तमान पता :–
14. स्थायी पता :–
15. घोषणा पत्रः–(i) एतद् द्वारा मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है। सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी/संविदा नियोजन रद्द किया जा सकता है।
    (ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–17415 दिनांक–20.12.2012 तथा संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 की सभी शर्तें मान्य हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर